


14
24

प्रावली के वकील पक्ष ए। वि. वकील पक्ष को पूर्व में भी अपील करने की लक्षित है उ पर्याप्त अवसर दिने प्रावली के आवक की लक्षित की रही है कि नही की। अतः माननीय वादस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस. सी. सिविल रिट प्रक्रिया सेवका 15787 / 2023 में प्रारित ऑर्डर दिनांक 11.12.2023 द्वारा प्रावली वादस्थान न्यायालय हेतु writ of mandamus जारी किया है जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि सिविल प्रक्रिया सेविका की पालना हो व उच्च न्यायालय के पालन में वादस्थान सकाराचार्य विभाग द्वारा standard operation procedures प्रमाण लिख ल-5 में यह स्पष्ट किया है कि लक्षित व निर्दिष्ट अनुक्रमांक में निर्दिष्ट सामग्री का कौशल से पालन की जाने परन्तु एक वर्ष के पर्याय में समस्त प्रेष नही किया। उक्त सिविल प्रक्रिया सेविका 1308 के ऑर्डर प्रमाण उ के लक्षित पक्ष का ऑर्डर प्रमाण को अपील किया गया है प्रावली पक्ष को उक्त उक्त उक्त से क उक्त दाखिल प्रार है।


 उपसचिव अधिकारी, दादाराजगढ़